न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः 6/2025 दायर दिनाँक 09.01.2025

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1. बानों पत्नी सोकिन खां उर्फ मोहम्मद सोकीन खान जाति कायमखानी निवासी अमरपुरा जरिये खास मुख्यार मोहम्मद सोकिन पुत्र श्री उम्मेद खान जाति कायमखानी निवासी अमरपुरा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना कुचामन (राज.) 2. मरियम बानों पत्नी खान मोहम्मद खां जाति कायमखानी निवासी अमरपुरा जरिये खास मुख्यार खान मोहम्मद खां पुत्र उम्मेद खां जाति कायमखानी निवासी अमरपुरा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना कुचामन (राज.)।	बनाम्	1. इस्लाम बानों पुत्री उम्मेद खां जाति कायमखानी निवासी अमरपुरा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना कुचामन (राज.) 2. खुशीम मो. पुत्र उम्मेद खां जाति कायमखानी निवासी अमरपुरा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना कुचामन (राज.) 3. मेहर बानों पुत्री उम्मेद खां जाति कायमखानी निवासी अमरपुरा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना कुचामन (राज.) 4. उप पंजीयक डीडवाना जिला डीडवाना कुचामन (राज.) 5. तहसीलदार डीडवाना जिला डीडवाना कुचामन (राज.)।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. एवं धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थितः–

1. श्री अभिषेक चतुर्वेदी वकील, प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री मो. अली शेरानी अप्रार्थी संख्या 1 व 3 एवं अप्रार्थी संख्या 2 के आम मुख्यार असलम बानो की ओर से

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 25.08.2025

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया किया जिसके संक्षिप्त में कथन इस प्रकार है कि मौजा ग्राम अमरपुरा, पटवार हल्का दादूबासनी, भू–अभिलेख निरीक्षक कोलिया, तहसील डीडवाना के खेत खसरा संख्या संख्या 375 रकबा 04.5500 हैक्टेयर, खसरा संख्या 432 रकबा 01.6200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 433 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा संख्या 687/425 रकबा 01.2000 हैक्टेयर कुल खसरान 04 कुल रकबा 07.8200 हैक्टेयर है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पैतृक हक अधिकार की [illegible] विरासत के विधिक प्रावधानों के अनुसार एक पुत्र, पुत्री से दुगुना हिस्[illegible] परन्तु उक्त राजस्व भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण पांचों का प्रत्येक का अवैध [illegible] तरीके से 1/5–1/5 हिस्सा बराबर खाते[illegible] खतौनी में खातेदार दर्ज कर दिया है जबकि मौके पर [illegible] भूमि पर कब्जा काश्त एवं स्वामित्व हक अधिकार प्रार्थीगण का चला आ रहा है। [illegible]गण की अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 03 बहनें है जिनकी शादी–विवाह अन्य – अन्य स्रोत से जो विधिवत हिस्सा बनता है उसको स्त्रीधन एवं नकद रूपयों के माध्यम से कायमखानी समाज की

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:21:13 IST
Reason: SelfAttested

परम्परा अनुसार बेटियों का अधिकार बनता नहीं है तथा किसी भी बहिन बेटी ने आज तक समाज में अपना हक अधिकार पैतृक राजस्व भूमि में प्राप्त नहीं किया है जिससे इनका खातेदारी में से नाम हटाया/विलोपित किया जाना विधि सम्मत एवं कानूनी प्रतीत होता है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 03 ब–मुकाम अमरपुरा में इस आशय का उत्पन्न हुआ है कि जब वादीगण के कब्जा काश्त उपयोग–उपभोग एवं स्वामित्व की राजस्व भूमि जो पैतृक है तथा उम्मेद खां की मृत्यु के बाद ब–हैसियत जो विरासत वादीगण को जो हिस्सा भाईयों को विधिवत रूप से सम्पूर्ण राजस्व भूमि में से 1/2–1/2 हिस्सा मुस्लिम विधि के अनुसार खातेदारी में दर्ज होना चाहिये तथा भाईयों के 1/2 हिस्सा व शेष राजस्व भूमि में से बहिनों को 1/2, 1/2, 1/2 हिस्सा विधिवत मुस्लिम विधि के अनुसार दर्ज होना चाहिए परन्तु गलत वादीगण व प्रतिवादीगण को एक समान प्रत्येक का 1/5 हिस्सा खतौनी में खातेदार दर्ज हो गया है तथा बहनों को खातेदारी अधिकार मुस्लिम कायमखानी समाज में खातेदारी मिलने की परम्परा नहीं है जिससे घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती एवं बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद–पत्र प्रस्तुत किया जाना विधि सम्मत् एवं कानूनी आया है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षत्ति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगणों के विरूद्ध है, जिससे अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में जारी फरमाया जाना विधि सम्मत एवं कानूनी है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी. सी. एवं धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमाई जावे कि मौजा ग्राम अमरपुरा, पटवार हल्का दादूबासनी में अवस्थित खेत खसरा संख्या 375 रकबा 04.5500 हैक्टेयर, खसरा संख्या 432 रकबा 01.6200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 433 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा संख्या 687/425 रकबा 01.2000 हैक्टेयर कुल खसरान 04 कुल रकबा 07.8200 हैक्टेयर राजस्व भूमि पर दौराने वाद विचारण निर्णय एवं डिक्री जारी होने तक अप्रार्थीगण मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनायी रखते हुए किसी भी प्रकार का बैचाण, हस्तान्तरण एवं निर्माण ना तो अप्रार्थीगण स्वयं करे ना ही अन्य किसी से करवाए।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या संख्या 1 व 3 एवं अप्रार्थी संख्या 2 के आम मुख्त्यार असलम बानो की ओर से अधिवक्ता मो. अली शेरानी ने जवाब पेश कर अपने जवाब में बताया कि प्रार्थीगण ने झुठे व मिथ्या तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है, जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की कतई संभावना नहीं है। प्रार्थना पत्र वर्णित खसरान् की भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 अपने 1/5–1/5 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की पैत्रिक भूमि होने के कारण ही अपने पिता उम्मेद खां की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम खातेदारी में दर्ज हुआ है तथा मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पिता ने अपने जीवनकाल में खसरान नम्बरान की भूमि का बंटवारा करके प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के हिस्से व बंट में 1/5–1/5 हिस्सा बंट में देकर कब्जा मौके पर दिला दिया था तथा उम्मेद खां की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान का नाम राजस्व काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया तथा इसी अनुरूप अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अनुसार अपने 1/5–1/5 भाग पर मौके पर काबिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:21:13 IST
Reason: SelfAttested

Was

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

काश्त चले आ रहे हैं, लेकिन प्रार्थीगण ने झुठे व मिथ्या तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को उसके हक अधिकार व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज तथा मौके पर काबिज काश्त भूमि से बेदखल करने की नियत से यह मिथ्या तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की कतई संभावना नहीं है। प्रार्थीगण ने यह मिथ्या उल्लेख किया है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 बहिने हैं, जिनकी शादी–विवाह अन्य स्रोत से जो विधिवत हिस्सा बनता है, उसको स्त्रीधन एवम् नकद रूपये के माध्यम से कायमखानी समाज की परम्परा अनुसार बेटियों का अधिकार बनता नहीं है तथा किसी भी बहिन बेटी ने आज तक समाज में अपना हक अधिकार पैत्रिक राजस्व भूमि में प्राप्त नहीं किया है, जिससे इनका नाम खातेदारी से हटाया जावें आदि तथ्य मिथ्या वर्णित किये गये हैं। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पैत्रिक भूमि में उनके वारिसानों का बराबर–बराबर हक अधिकार नियत हो रखा है, इसके बावजूद भी समाज की परम्परा का हवाला देकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को उनके विधिक अधिकारों से वंचित करने की नियत से यह झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की कतई संभावना नहीं है।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खेत खसरा नम्बरान् की प्रार्थीगण की पैतृक एवं संयुक्त खातेदारी की स्थित है। मुस्लिम विधि के तहत विरासत के विधिक प्रावधानों के अनुसार एक पुत्र, पुत्री से दुगुना हिस्सा लेता है परन्तु उक्त राजस्व भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण पांचों का प्रत्येक का अवैध एवं विधि विरूद्ध तरीके से 1/5–1/5 हिस्सा बराबर खातेदारी में दर्ज राजस्व रेकर्ड में खतौनी में खातेदार दर्ज कर दिया है मौके पर वर्तमान में सम्पूर्ण राजस्व भूमि पर कब्जा काश्त एवं स्वामित्व हक अधिकार प्रार्थीगण का चला आ रहा है। अतः ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिउत्तर में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थीगण ने झुठे व मिथ्या तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को उसके हक अधिकार व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज तथा मौके पर काबिज काश्त भूमि से बेदखल करने की नियत से यह मिथ्या तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है प्रार्थना पत्र वर्णित खसरान् की भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 अपने 1/5–1/5 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पैत्रिक भूमि में उनके वारिसानों का बराबर–बराबर हक अधिकार नियत हो रखा है, इसके बावजूद भी समाज की परम्परा का हवाला देकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को उनके विधिक अधिकारों से वंचित करने की नियत से यह झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

उभय पक्ष की बहस के दौरान कथित कथनों एवं तर्कों पर मनन किया एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, वादिया के प्रार्थना पत्र के जवाब , वादिया के वाद एवं रेकर्ड का गहनता से अवलोकन किया। बहस पर मनन किया रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन व बहस पर मनन [illegible] उपरान्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति के लिए आवश्यक तीनो बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है।

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– सरहद अमरपुरा में [illegible] खसरा संख्या 375, 432, 433, 687/425, की भूमि [illegible] बेचान, हस्तान्तरण, निर्माण, दान ईत्यादि नहीं करने की अप्रार्थी [illegible] विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रार्थीगण इस्तदुआ कर रहा है। प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:21:13 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है इसलिए प्रथमदृष्टया मामला उसके पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. **सुविधा का संतुलन** :— प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार होने से बेचाण, हस्तान्तरण, निर्माण होने से प्रार्थीगण को भारी असुविधा होगी। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3. **अपूरणीय क्षति** :— प्रार्थी के खातेदार होने के कारण भूमि का बेचाण, निर्माण, हस्तान्तरण एवं दान होने पर प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

उपरोक्त प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित होने के कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति का हकदार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश :—

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम अमरपुरा, पटवार हल्का दादूबासनी, भू–अभिलेख निरीक्षक कोलिया, तहसील डीडवाना के खेत खसरा संख्या संख्या 375 रकबा 04.6500 हैक्टेयर, खसरा संख्या 432 रकबा 01.6200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 433 रकबा 0.4600 हैक्टेयर, खसरा संख्या 667/425 रकबा 01.2000 हैक्टेयर कुल खसरान 04 कुल रकबा 07.8200 हैक्टेयर की भूमि में किसी प्रकार का बेचाण, निर्माण, हस्तानांतरण, दान इत्यादि नहीं करेंगे। राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखेंगे।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:21:13 IST
Reason: SelfAttested